

बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 24-6-2026 को जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित ग्रामीण पेयजल योजनाओं की कार्यदायी संस्थावार समीक्षा की गयी। समीक्षा में निम्न निर्देश दिये गये :-

1-जिंदल कंपनी

• जिंदल कम्पनी द्वारा संचालित अनेक ग्रामों में महीनों से अत्यल्प/शून्य जलापूर्ति की स्थिति पायी गई। ग्राम सरहा में लगभग 6 माह से पेयजलापूर्ति के सम्बन्ध में मिथ्या आख्या प्रस्तुत की जा रही है। ग्राम खंडेजार में पेयजलापूर्ति की समस्या कई महीनों से चल रही है। ग्राम भरसवा/धनपुरा में लगभग 5-6 माह से 20-30 प्रतिशत, ग्राम भुलसी में लगभग 78 दिन से लगभग 30 प्रतिशत, ग्राम रतौली में लगभग 07 दिन से जीरो पेयजलापूर्ति है। निर्देश दिये गये कि प्रत्येक प्रभावित ग्राम की वर्तमान स्थिति का स्थलीय सत्यापन कराकर तत्काल जलापूर्ति बहाल की जाये।

1/ अवर अभियन्ता द्वारा बताया गया कि मेन लाइन टूटने के कारण पेयजलापूर्ति बाधित हुई है। जबकि जाँच में पाया गया कि जिंदल द्वारा निर्धारित गहराई (1मीटर) के स्थान पर कम गहराई पर मेन लाइन डाली गई तथा पाइप क्षति का असत्य कारण बताया गया। बैठक में भी मिथ्या तथ्य प्रस्तुत किया गया कि "मेन लाइन टूटी", जबकि अवर अभियन्ता द्वारा स्पष्ट किया गया कि 20-30 सेमी गहराई के कनेक्शन टूटे थे, मेन लाइन नहीं। निर्देश दिये गये कि चयनित योजनाओं में मेन लाइन की वास्तविक गहराई की खुदाई कराकर सत्यापन किया जाये। 1/

• जिंदल कंपनी के तीन जनपद स्तरीय कर्मचारियों के विरुद्ध जानबूझकर जलापूर्ति बाधित रखने एवं मिथ्या आख्या देने के फलस्वरूप यथोचित कार्यवाही की जाये।

• सुमेरपुर क्षेत्र से सम्बन्धित विगत दो माहों में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में बैठक में गलत सूचनाएं देने पर इनका वेतन रोका जाये तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।

• जिन पूर्व अधिशासी/सहायक अभियन्ता द्वारा अपूर्ण योजना को "पूर्ण" घोषित किया गया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/अपर जिलाधिकारी)

2-आईटी वर्ल्ड

• आईटी0 वर्ल्ड कम्पनी को 48 ग्रामों हेतु बजट/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत भी कार्य अपूर्ण है। वसवारी में टंकी खराब होने से कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ग्राम गहुली में मात्र लगभग 10 प्रतिशत जलापूर्ति हो पायी गयी है। ग्राम बिहूनीखुर्द, झिन्नावीरा में शून्य आपूर्ति है। इन ग्रामों में तत्काल जलापूर्ति/कार्य प्रारंभ कराया जाये।

• अवर अभियन्ता श्री धीरेंद्र द्वारा बिना सूचना अवकाश लिये जाने के दृष्टिगत उन्हें तत्काल प्रभाव से कंट्रोल रूम में संबद्ध किया जाये तथा उनका कार्यभार अन्य अभियन्ता को सौंपा जाये।

• प्रत्येक योजना की संस्था को हस्तांतरण के समय की प्रतिशत एवं वर्तमान प्रतिशत की तुलनात्मक सूचना तैयार की जाये। प्रत्येक योजना हेतु हस्तांतरण प्रतिशत, वर्तमान प्रतिशत, तथा अंतर सहित स्थलीय सत्यापन की सूचना तत्काल प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/अपर जिलाधिकारी)

3- पीएनसी

• कम्पनी की सभी योजनाएँ 80 प्रतिशत से अधिक हैं। निर्देश दिये गये कि जिंदल कम्पनी की तरह ही पीएनसी कम्पनी की सभी परियोजनाओं की मेन लाइन की गहराई/गुणवत्ता की जाँच करायी जाये।

• योजनाओं से सम्बन्धित मा0 जनप्रतिनिधियों के स्तर पर प्राप्त पत्रों तथा शासन स्तर पर लगभग 02 वर्ष से लंबित प्रकरणों को प्रस्तुत कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही-अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)/अपर जिलाधिकारी)

4- ऑनलाइन पोर्टल की स्थिति

- ऑनलाइन पोर्टल पर अनेक योजनाओं की प्रतिशतता वास्तविक धरातलीय स्थिति से अधिक प्रदर्शित की जा रही है। निर्देश दिये गये कि समस्त योजनाओं की पोर्टल प्रविष्टि का धरातलीय सत्यापन कराकर वास्तविक स्थिति अंकित करायी जाये। मिथ्या प्रविष्टि पाये जाने पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये।

(कार्यवाही-अधिशायी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/अपर जिलाधिकारी)

5- ऑपरेटर, पाइपलाइन एवं अनुरक्षण

- समस्त ऑपरेटरों के नाम, मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड सहित की सूची तत्काल प्रस्तुत की जाये। समस्त अवर अभियंताओं का दायित्व निर्धारित किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि ऑपरेटर स्थल पर उपस्थित रहे।
- खुले में पड़ी पाइपलाइनों को व्यवस्थित कराया जाये। टंकियों की सफाई की तिथिवार स्थिति प्रस्तुत करें तथा परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही-अधिशायी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/अपर जिलाधिकारी)

6- जल गुणवत्ता परीक्षण

- सभी परियोजनाओं की विगत 02 वर्ष की जल गुणवत्ता की आख्या संकलित कर निष्कर्ष सहित प्रस्तुत किया जाये।

(कार्यवाही-अधिशायी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/अपर जिलाधिकारी)

7- शिकायत निस्तारण

- सुरौली बुजुर्ग में लगभग 20 दिन से संपूर्ण ग्राम में जलापूर्ति बाधित है तथा ग्राम प्रधान द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही है। निर्देश दिये गये कि आज ही वार्ता कर समस्या का निस्तारण कराया जाये।

(कार्यवाही-अधिशायी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/अपर जिलाधिकारी)

8- आरोग्य मंदिर कनेक्शन

- बताया गया कि लगभग 50 आरोग्य मंदिरों में जल जीवन के तहत रनिंग वाटर उपलब्ध नहीं हो रहा है। निर्देश दिये गये कि अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे से समन्वय कर तत्काल पेजलापूर्ति सुनिश्चित करायी जाये।

(कार्यवाही-अधिशायी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/अपर जिलाधिकारी)

9- तहसील दिवस में जल निगम टीम

- आगामी तहसील दिवसों में जल निगम के सभी अधिकारी उपस्थित रहें, ताकि शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

(कार्यवाही-अधिशायी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/अपर जिलाधिकारी)

10- टैंकर व्यवस्था

- पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में तत्काल टैंकर भेजे जायें। जिंदल क्षेत्र हेतु 04 एवं आईटी वर्ल्ड क्षेत्र हेतु 01 टैंकर संबंधित संस्था द्वारा लगाये जायें।

(कार्यवाही-अधिशायी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण)/अपर जिलाधिकारी)

(अभिषेक गोयल)
जिलाधिकारी
हमीरपुर।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी हमीरपुर।
- 2- अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे हमीरपुर।
- 3- अधिशायी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण हमीरपुर।
- 4- अधिशायी अभियन्ता, जल निगम, विद्युत/यांत्रिक हमीरपुर।
- 5- अधिशायी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड हमीरपुर एवं राठ।


(जिलाधिकारी)
हमीरपुर।